

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 08/2022 अपील (राजस्व)

GCMS No. 2022/9

1. भूरा पिता भेरा भील निवासी: बडियार, तहसील-मावली, उदयपुर
2. दूदा पिता भेरा भील निवासी: बडियार, तहसील-मावली, उदयपुर

— अपीलान्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

— रespoडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
विरुद्ध निर्णय तहसलीदार मावली दिनांक 15.07.2021

प्रकरण संख्या 01/2021



उपस्थित : श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता अपीलान्त
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:- 18/08/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश तहसीलदार मावली के प्रकरण संख्या 01/2021 आदेश दिनांक 15.07.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बडियार तहसील मावली में आराजी संख्या 232 स्थित है उक्त भूमि पर अपीलान्त एवं उसके भाई वेणीराम पिता माणा भील विगत कई वर्षों से यानि अपने पूर्वजों के समय से काबिज हो भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, अपीलान्त के परिवार में करीब 50 से अधिक सदस्य है तथा मौके पर उक्त भूमि पर अपीलान्त के पूर्वजों के समय से ही अलग अलग कच्चे मकान बने हुए हैं तथा मवेशियों को बांधने के लिए अलग-अलग टापे बनी हुई है। घास तथा फसले रखने के लिए कच्चे घर बना रखे हैं तथा जलाऊ लकड़ी व घरेलू सामान रखने के लिए बाड़े बने हुए हैं जिन पर हमारे पूर्वज एवं उसके बाद अपीलान्त परिवारजन पीढ़ी दर पीढ़ी

जिला कलक्टर
उदयपुर

काबिज होकर शांतिपूर्वक निवास करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजी के कुछ भू-भाग में अपीलाण्ट के रहने के लिए कच्चे केलूपोश मकान भी बने हुए है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी एवं अधिकारियों ने गांव के भूमि दलालों से मिलीभगत कर अपीलाण्ट को बेदखल करने की नियत से धारा 91 की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी मौके की वास्तविक स्थिति से विपरित जाकर अपीलाण्ट के विरुद्ध कथित निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय नियम व विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से काबिल निरस्त है। अपीलाण्ट गरीब परिवार के सदस्य होकर अनुसूचित जनजाति के लोग है तथा अपीलाधीन आराजी की भूमि पर अपीलाण्ट अपने पूर्वजो के समय से निवास करते चले आ रहे है तथा इसके अलावा उक्त भूमि पर गांव के अन्य लोग भी काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है लेकिन राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों व हल्का पटवारी ने गांव के ही फतहसिंह राजपूत एवं आपराधिक व्यक्तियों के सहयोग से अपीलाण्ट को अपीलाधीन आराजी की भूमि से अपीलाण्ट के कब्जे व उपयोग उपभोग से बेदखल करने की नियत से हल्का पटवारी से मौके की वास्तविक स्थिति से विपरीत जाकर अपीलाण्ट के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये तथा भौतिक रूप से स्वयं के द्वारा बिना सत्यापन किये मनमाफिक तरीके से अपीलाण्ट को मौके पर बने हुए कच्चे केलूपोश मकान बाड़े आदि को जे.सी.बी. मशीन लगाकर तोड़ दिये गये। अपीलाण्ट अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तथा उक्त आराजी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों ने भी कब्जे कर रखे है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों के विपरित जाकर केवल अपीलाण्ट के कब्जे वाले कच्चे मकानात, बाड़े आदि तोड़ दिये तथा अपीलाण्ट के विरुद्ध कथित निर्णय, मौके की वास्तविक एवं भौतिक स्थिति के विपरित जाकर पारित किया गया है जबकि अपीलाण्ट को अपने स्वयं का तथा परिवार के रहने के लिए अन्य कोई मकानात नहीं है न ही अपने मवेशियों को बांधने के लिए अन्य कोई बाडा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गांव के व्यक्ति ओम प्रकाश जाट, कैलाश गायरी, सुरेश गुर्जर, तरुण गुर्जर, नरेश गायरी आदि के दबाव में आकर कथित निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को कथित निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को विधिवत तरीके से उनके निवास के लिए व्यवस्था करते या उक्त भूमि को उनके नाम पर आवंटित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही



जिला कलक्टर
उदयपुर

करते, लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने तमाम तथ्यों पर बिना कोई मनन किये विधि, न्याय व मानवता के विपरित जाकर कथित निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट कोर्ट कचहरी से संबंधित ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त निर्णय अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के कथित निर्णय को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलाण्ट को उक्त भूमि के नाम पर आवंटित करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलबी की गई। पैरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व गांव बडियार तहसील मावली के आराजी संख्या 232 पर अपीलाण्ट एवं उसके भाई वेणीराम पिता माणा भील विगत कई वर्षों से कच्चे केलूपोश मकान बनाकर निवासरत है तथा अपने मवेशियों को बांधने के लिए तथा घास व फसले रखने के बाडा बना रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुने, बिना कोई नोटिस दिये मनमाफिक तरीकें से अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में दिनांक 15.07.2021 बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के कथित निर्णय को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलाण्ट को उक्त भूमि के नाम पर आवंटित करने का आदेश फरमाया जावे।

उपस्थित अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि भूरा, दूदा पिता भाणा भील द्वारा राजस्व ग्राम बडियार, तहसील मावली, उदयपुर के आराजी संख्या 232 चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। चारागाह भूमि पर किया गया अतिक्रमण नियमन की श्रेणी में नहीं आता है। भूमि पर प्रार्थी का कब्जा अनाधिकृत होने से प्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर भूमि से बेदखल किया जाना उचित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह न्यायोचित हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारीज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार राजस्व ग्राम बडियार की आराजी संख्या 232 भूमि किस्म चारागाह दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अतिक्रमी घोषित किया जाकर



जिला कलक्टर
 उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

प्र.स. 08/22 राजस्व

भूरा बनाम सरकार

GCMS No. 2022/9

दिनांक 15.07.2021 को बेदखली के आदेश पारित किये गये है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि वह नियमन की पात्रता रखता है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई जाती है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार मावली को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।



(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर